

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिनेश कुमार गीणा आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या दावा/47/2023

दायर दिनांक 20.06.2023

उनवान

1. मन्जुबाला पत्नी सुमतिप्रकाश जाति ब्राह्मण नि. रायपुर तहसील रायपुर

– वादिया

बनाम

1. बालचन्द पुत्र मानसिंह जाति गुर्जर निवासी मुण्डला तह0 रायपुर

2. घनश्याम पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी रायपुर तह0 रायपुर

3. रामकन्याबाई पत्नी नन्दलाल जाति तेली निवासी रायपुर तह0 रायपुर

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 रायपुर जिला झालावाड

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 आर0टी0एक्ट

उपस्थिति :-

अभिभाषक वादीगण :- श्री नीलकमल त्रिवेदी

अभिभाषक प्रतिवादीगण :- एकतरफा



निर्णय

दिनांक 11.02.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी उपस्थित। यह दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के खाता संख्या 200 का खसरा नं. 1916/1 रकबा 0.7461 है0 कृषि भूमि के संबंध में इस न्यायालय के आदेश व प्राथमिक डिकी दिनांक 18.12.2024 से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी के मध्य जमाबंदी में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर खाता विभाजन किये जाने और राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने के तहसीलदार रायपुर को आदेश दिये गये। उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 18.12.2024 की पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/110 दिनांक 03.02.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया, जिस पर अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी की सहमति के आधार पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।



4

उपखण्ड अधिकारी

पिडावा, जिला झालावाड (राज0)



अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2024 की पालना में प्राप्त व स्वीकार विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के खाता संख्या 200 का खसरा नं. 1916/1 रकबा 0.7461 है0 कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य जमाबंदी में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जे काशत के आधार पर खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है :-

क्र. सं.	ग्राम	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है0	किस्म
1	रायपुर खाता संख्या 200	मन्जुवाला पत्नी सुमतिप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी रायपुर	1916/1	0.3730	माल प्रथम
2	रायपुर खाता संख्या 200	1. घनश्याम पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी रायपुर हि. 10/24 2. बालचन्द पुत्र मानसिंह जाति गुर्जर निवासी मुण्डला हि. 1/4 3. रामकन्याबाई पत्नी नन्दलाल जाति तेली निवासी रायपुर हि. 1/3	1916/1	0.3731	माल प्रथम

तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।
फाइनल डिक्री पर्या जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Handwritten signature)

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड राज0
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड (राज0)

फाईनल डिक्री मुकदमा इब्दादाई
(ओ० 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज०)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिनेश कुमार मीणा आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या दावा/47/2023

दायर दिनांक 20.08.2023

उनवान

1. मन्जुबाला पत्नी सुमतिप्रकाश जाति ब्राह्मण नि.रायपुर तहसील रायपुर

– वादिया

बनाम

1. बालचन्द पुत्र मानसिंह जाति गुर्जर निवासी मुण्डला तह० रायपुर

2. घनश्याम पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी रायपुर तह० रायपुर

3. रामकन्याबाई पत्नी नन्दलाल जाति तेली निवासी रायपुर तह० रायपुर

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह० रायपुर जिला झालावाड

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 आर०टी०एक्ट

उपस्थिति :-

अभिभाषक वादीगण :- श्री नीलकमल त्रिवेदी

अभिभाषक प्रतिवादीगण :- एकतरफा

मिनजानित मुदई रुबरूX.....मिनजाविन मुदालयह हुक्म व डिक्री दी जाती है कि इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2024 की पालना में प्राप्त व स्वीकार विमाजन प्रस्ताव अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के खाता संख्या 200 का खसरा नं. 1916/1 रकबा 0.7461 है० कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य जमाबंदी में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर खाता विमाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार खाता विमाजन किया जाता है :-

क्र. सं.	ग्राम	खातेदार का नाम	ख०नं०	रकबा है०	किस्म
1	रायपुर खाता संख्या 200	मन्जुबाला पत्नी सुमतिप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी रायपुर	1916/1	0.3730	माल प्रथम
2	रायपुर खाता संख्या 200	1. घनश्याम पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी रायपुर हि. 10/24 2. बालचन्द पुत्र मानसिंह जाति गुर्जर निवासी मुण्डला हि. 1/4 3. रामकन्याबाई पत्नी नन्दलाल जाति तेली निवासी रायपुर हि. 1/3	1916/1	0.3731	माल प्रथम

तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।



(दिनेश कुमार मीणा, आर०ए०एस०)


उपखण्ड अधिकारी पिडावा

जिला झालावाड राज०

पिडावा, जिला झालावाड (राज०)


निज _____X_____ मुबालिक _____X_____ बाबत खर्चा इस मुकदमे के सूट बजारह _____X_____ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक _____X_____ अदा कराना।

भैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 11.02.2025 को जारी किया गया।


उपखण्ड अधिकारी
पिडावा जिला झालावाड (राज०)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुता०
महन्ताना वकील	मुता०	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	




उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड (राज०)
पिडावा, जिला झालावाड (राज०)